# एलपीजी की उपलब्धता और वितरण पर निगरानी के निर्देश

नवभारत न्यूज

**श्योपुर, 12 मार्च।** प्रदेश में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी जिलों के कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिलों में एलपीजी की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जायें तथा किसी भी प्रकार की पैनिक की स्थिति बनने न दी जायें। इस अवसर पर एनआईसी कक्ष श्योपुर में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय,

एसडीएम गगन सिंह मीणा, डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य आदि उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिलों में घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए गैस एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया जाए और उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही नागरिकों को यह भी समझाइश दी जाए कि वे अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडरों का अतिरिक्त भंडारण (स्टॉक) न करें, ताकि जरूरतमंद सभी उपभोक्ताओं को आवश्यकता के अनुसार गैस उपलब्ध हो सके।

उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों और चिकित्सा संस्थानों में गैस की आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित न हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा गैस एजेंसियों द्वारा वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि आवश्यकता होने पर नागरिकों को इलेक्ट्रिक इंडक्शन, हॉट प्लेट, डीजल स्टोव, बायोगैस जैसे वैकल्पिक साधनों के उपयोग के प्रति भी जागरूक किया जाए, ताकि एलपीजी पर दबाव कम किया जा सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कहीं जमाखोरी, कालाबाजारी या कृत्रिम कमी की शिकायत मिलती है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कलेक्टरों से कहा गया है कि वे जिले में एलपीजी की उपलब्धता और वितरण की स्थिति पर लगातार निगरानी रखें तथा आमजन को सही जानकारी उपलब्ध कराते रहें, जिससे किसी प्रकार की अफवाह या भ्रम की स्थिति न बने।

उन्होंने जानकारी दी कि अधिक यूजर लोड के कारण गैस बुकिंग का सर्वर डाउन हो गया था, जिसके कारण ऑनलाइन बुकिंग में परेशानी हुई थी, अब सर्वर पूर्वत: शुरू हो गया है, इसके साथ ही अतिरिक्त सर्वर की व्यवस्था भी की जा रही है।

## एक नजर में

### गेहूं उपार्जन के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित

**श्योपुर।** कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के मार्गदर्शन में रबी उपार्जन वर्ष 2026 -27 के लिए समिति प्रबंधक सर्वेयर एवं उपार्जन से संबंधित सभी अधिकारियों के लिए जिला पंचायत सभागार में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारतीय खाद्य निगम के गुणवत्ता प्रशिक्षक द्वारा संबंधितों को गेहूं खरीदी के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान कॉपरेटिव नोडल, जिला खाद्य अधिकारी, सहकारिता अधिकारी, प्रबंधक स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन एवं जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम एवं सर्वेयर सुपरवाइजर आदि मौजूद रहें।

### पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का वितरण आज

**श्योपुर।** प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्ष में कुल 6 हजार रूपए की राशि तीन समान किश्तो में प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त का वितरण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 13 मार्च को गुवाहटी असम में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम के माध्यम से किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर एसडीएम श्योपुर को नोडल अधिकारी बनाया है। इसके साथ ही विजयपुर एवं कराहल ब्लॉक में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए संबंधित एसडीएम को दायित्व सौपे गये है। तहसील स्तर पर तहसीलदार को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिले की ग्राम पंचायतों में उक्त कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कराने की व्यवस्था के निर्देश दिये गये है तथा पटवारियों को ग्राम नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।

### विक्रमोत्सव अंतर्गत सूर्य उपासना कार्यक्रम 19 मार्च को

**श्योपुर।** कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा विक्रमोत्सव 2026 अंतर्गत सूय उपासना कार्यक्रम के लिए नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये है। यह कार्यक्रम 19 मार्च को नगरपालिका मैरिज गार्डन में आयोजित होगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा ने जिले में विक्रमोत्सव आयोजन को सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिए डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य को नोडल अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। सृष्टि आरंभ दिवस वर्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2083 को आरंभ कोटि सूर्योपासना के रूप में मनाया जा रहा है। ब्रम्ह मुहुर्त में सूर्य उपासना के साथ ही सभी प्रमुख मंदिरों पर ब्रम्हा ध्वज की स्थापना की जायेगी। इसके साथ ही नगरपालिका मैरिज गार्डन में पूर्वान्ह समय में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा।

### गसवानी में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कैम्प आयोजित

**श्योपुर।** सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा माननीय जुवेनाइल जस्टिस कमेटी हाईकोर्ट मध्यप्रदेश द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में 18 साल तक की आयु के सभी बच्चों में दिव्यांगता की त्वरित पहचान हेतु जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कैम्प आयोजित किये जा रहे है। इसी क्रम में गसवानी में आज स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प का आयोजन किया गया। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कैम्प में डॉ ललित शर्मा अस्थि रोग विशेषज्ञ, डॉ एके करोरिया मेडिसिन विशेषज्ञ, डॉ अरशद अयूब मानसिक रोग विशेषज्ञ, डॉ केवल्या नॉक कान गला रोग विशेषज्ञ, सहायक नेत्र रोग राजकुमार की टीम द्वारा 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों का परीक्षण किया गया, गसवानी में आयोजित शिविर में कुल 31 रजिस्ट्रेशन हुए तथा 21 दिव्यांग बच्चों के यूडी आईडी प्रमाण पत्र बनाये गये। इस अवसर पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के सतीश सिंह प्रशासनिक अधिकारी, अनिल यादव गतिशीलता प्रशिक्षक, राजभान पटेल, सचिव गसवानी रामहेत यादव आदि उपस्थित रहे।

### पीसीपीएनडीटी एक्ट सलाहकार समिति की बैठक 18 मार्च को

**श्योपुर।** पी.सी.पी.एन.पी.डी.टी. अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक 18 मार्च को दोपहर 01 बजे सीएमएचओ कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। सीएमएचओ डॉ डीएस सिकरवार ने बताया कि बैठक में सभी सदस्यो को आमंत्रित किया गया है।

# नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण के होंगे समझौते

नवभारत न्यूज

**श्योपुर, 12 मार्च।** म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अंतर्गत 14 मार्च (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।

महाप्रबंधक एलएन पाटीदार ने बताया कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरण एवं अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।

प्रि-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छ: माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छ: माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। कंपनी ने कहा है कि नेशनल लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी जो आकलित सिविल दायित्व राशि रू. 10,00,000 (दस लाख ) तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल ''लोक अदालत'' 13 दिसंबर 2025 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।

# एनएसएस शिविर का समारोहपूर्वक समापन

नवभारत न्यूज

**श्योपुर, 12 मार्च।** शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय श्योपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सात दिवसीय नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आज समारोहपूर्वक समापन संपन्न हुआ।

गोदग्राम रायपुरा में आयोजित समापन अवसर पर प्राचार्य डॉ ओपी शर्मा ने कहा कि युवा छात्राओं को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेकर मेहनत, साहस एवं जुनून के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर ग्रामीण जीवन को समझने, समय का पालन करने, नेतृत्व क्षमता विकसित करने और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी से राष्ट्र सेवा की प्रेरणा प्रदान करता है।

कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती वेदांकी खंडेलवाल ने कहा कि युवा शक्ति को सही दिशा, शिक्षा और कौशल विकास के अवसर देकर राष्ट्र की प्रगति में शामिल किया जा सकता है, जिससे एक विकसित और समृद्ध भारत का निर्माण हो सके। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिला संगठक डॉ वकील सिंह कौशल ने कहा कि सभी राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर मुख्य रूप से स्वयं से पहले आप की भावना के साथ समाज सेवा, अनुशासन, भाईचारा और व्यक्तिगत विकास की शिक्षा देता है। इस अवसर पर वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ विपिन बिहारी शर्मा, डॉ सुभाष चंद, डॉ रमेश भारद्वाज, जिला संगठक डॉ बकील सिंह कौशल, डॉ परवीन वर्मा, डॉ अलंकृता साकेत, डॉ महेंद्र कैथवास, डॉ प्रांकुश शर्मा, डॉ दीपक शर्मा, डॉ मनीष सैनी, विकास जाट, डॉ सरलेश कौशल आदि उपस्थित रहे।

समापन कार्यक्रम में शिविर में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए रासेयो विद्यार्थियों को सर्टिफिक्रेट प्रदान किये गये। कार्यक्रम के अंत में सात दिवसीय विशेष शिविर का संचालन कर रही श्रीमती वेदांकी खंडेलवाल द्वारा शिविर के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान करने वाले समस्त गणमान्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया गया।

### नेशनल लोक अदालत 14 को

**श्योपुर, 12 मार्च।** राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मेहता के मार्गदर्शन में 14 मार्च 2026 (शनिवार) को जिला न्यायालय, श्योपुर एवं तहसील न्यायालय विजयपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, बैंक रिकवरी, एन.आई.एक्ट की धारा 138, क्लेम प्रकरण, लेबर डिस्प्यूट, विद्युत एवं जलकर, पारिवारिक विवाद, पारिवारिक प्रकरण, आपराधिक प्रकरण एवं सिविल प्रकरणों का निराकरण भी किया जावेगा।

# लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश

नवभारत न्यूज

**श्योपुर, 12 मार्च।** सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद द्वारा अधीनस्थ अमले की बैठक लेते हुए निर्देश दिये कि सभी शाखा प्रभारी एवं कार्यक्रम अधिकारी अपनी-अपनी शाखाओं में लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्रता से करें तथा ड्यूटी के दौरान

**सीईओ जिला पंचायत ने ली अधीनस्थ अमले की बैठक, 14 मार्च को जिला पंचायत परिसर में स्वच्छता हेतु श्रमदान**

अनुशासन के साथ अपना कर्तव्य निभायें।

जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि उपस्थित रहें।

उन्होंने निर्देश दिये कि कोई भी अधिकारी

अथवा कर्मचारी बिना अनुमति या पूर्व सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेगा, यदि किसी कर्मचारी को अवकाश अथवा मुख्यालय से बाहर जाना हो तो 2 दिवस तक की अनुमति संबंधित ओआईसी की अनुशंसा पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी से तथा 2 दिवस से अधिक अवकाश के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

समस्त ओआईसी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि टीएल के लंबित प्रकरणों एवं जनसुनवाई से संबंधित शिकायतों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि जिला पंचायत की समस्त फाइलें विधिवत ई-ऑफिस के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाएँ। बैठक में सभी शाखा प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि प्राथमिकता वाले पत्रों एवं प्रकरणों को शीघ्रता से तैयार कर समय-सीमा में प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यालयों को व्यवस्थित एवं स्वच्छ रखने हेतु निर्देशित किया गया। स्वच्छ कार्यालय वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 14 मार्च को प्रात: 7 बजे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला पंचायत परिसर एवं निर्धारित स्थानों पर स्वच्छता हेतु श्रमदान करेंगे तथा वृक्षारोपण भी किया जाएगा। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत संचालित योजनाओं का कोई भी बजट शेष नहीं होना चाहिए। यदि किसी योजना का बजट शेष रहता है तो संबंधित अधिकारीध्कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी से वन टू वन चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुनते हुए समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

### पीएम श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना

**श्योपुर।** केंद्र सरकार द्वारा असंगठित कर्मकारों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना प्रारंभ की गयी हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा उक्त योजना में अधिक से अधिक श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के निर्देश दिये गये है। श्रम विभाग द्वारा बताया गया है कि इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए तथा मासिक आय अधिकतम 15 हजार निर्धारित है, आयकर दाता नहीं होना चाहिए, ई.एस.आई एवं ई.पी.एफ में सम्मिलित न हो, हितग्राही को 60 वर्ष की आयु के बाद 3 हजार रुपये मासिक पेंशन प्राप्त होगी।

# शहरी सीमा से सटी लोकेशनों में 100 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव तैयार करें

नवभारत न्यूज

**श्योपुर, 12 मार्च।** कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा ने निर्देश दिये कि शहरी क्षेत्र श्योपुर एवं बडौदा से सटे क्षेत्र की लोकेशन पर 100 प्रतिशत वृद्धि की जाये, वे आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय मूल्याकंन समिति की बैठक के दौरान उप जिला मूल्याकंन समिति श्योपुर एवं विजयपुर से प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान बैठक को संबोधित कर रहे थे।

बैठक में एसडीएम गगन सिंह मीणा, विधायक श्योपुर प्रतिनिधि असद उल्ला कुरैशी, रजिस्टार दुष्यंत दीक्षित, सब रजिस्टार श्योपुर सौरभ शाक्य, रामकुवार डाबरिया एवं, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, नगर निवेश, भू-अभिलेख, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने उप जिला मूल्याकंन समिति से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार विमर्श उपरांत निर्देश दिये कि ग्राम रायपुरा, जाटखेडा, जैदा, बर्धा-दांतरदा, सलापुरा, बगवाज,

मठेपुरा, ढेगदा, कलारना सहित मूंडला एवं पाण्डोला क्षेत्र की लोकेशन में 100 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव तैयार किये जायें।

जिला मूल्याकंन समिति की बैठक में वर्ष 2026-27 की गाइडलाइन में 926 लोकेशन है, जिनमें 847 लोकेशनों में वृद्धि के प्रस्ताव समिति की बैठक में प्रस्तुत किये गये। 926 में से 270 शहरी लोकेशन है और 656 लोकेशन ग्रामीण क्षेत्र की है, शहरी क्षेत्र की 270 लोकेशन में से 237 लोकेशनों पर तथा ग्रामीण क्षेत्र की 656 में से 610 लोकेशनों पर वृद्धि के प्रस्ताव तैयार किये गये है।

बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष कलेक्टर गाइडलाइन में जिले की 1085 लोकेशन थी, जिसमें से इस वर्ष की गाइडलाइन में 204 लोकेशनों को अन्य समीपवर्ती लोकेशन में मर्ज कर दिया गया है तथा 45 नई लोकेशन जोडी गई है, इस प्रकार इस वर्ष कलेक्टर गाइडलाइन में 926 लोकेशन शेष रह गई है।

# चार्ज अधिकारियों का जनगणना संबंधी प्रशिक्षण आयोजित

नवभारत न्यूज

**श्योपुर, 12 मार्च।** जनगणना 2027 अंतर्गत चार्ज अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण ई-दक्ष केन्द्र श्योपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला जनगणना अधिकारी एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद सहित जनगणना निदेशालय भोपाल से जिला जनगणना प्रभारी सत्यप्रकाश, जिला सांख्यिकी अधिकारी गिर्राज शर्मा, अन्वेषक राकेश निगम द्वारा सीएमएमएस पोर्टल कप्युटर पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण मे जिला जनगणना हस्त पुस्तिका के संबंध में जानकारी दी गई साथ ही सीएमएमएस पोर्टल पर हेड्स ऑन अभ्यास भी कराया गया। मकानसूचीकरण (ब्लाक एचएलबी) का गठन करने, एचएलबी सी वेब मेपिंग एप्लीकेशन पर एचएलबी कों चिंनित करने की प्रकिया के बारे मे विस्तार से जानकारी दी गई। जिसमे बताया गया कि जनगणना के पहले चरण के अन्तर्गत मकान सूचीकरण (एचएलओ) किया जायेगा। इसमें मकान सूचीकरण का गठन और उनकी मैपिंग बहुत महत्वपूर्ण है। एच एल बी सबसे छोटी महत्वपूर्ण इकाई है। प्रत्येक एच एल बी में सामान्यत: 750-800 संख्या या 180-200 मकान तथा जनगणना भवन/मकान जो भी अधिक को शामिल किये जाते हुए। एचएलबी गठित की जायेगी तथा एचएलबी उपग्रह चित्रों के आधार पर बनाये जायेगे ताकि भौगोलिक कवरेज एक समान हो। यह कार्य चार्ज ऑफिसर की आईडी से सीएमएस पोर्टल पर किया जाना है।

यह देश की पहली पूर्णत: डिजिटल जनगणना है, जो सीएमएस पोर्टल पर रियल टाईम और डिजिटल तरीके से होगी, इस हेतु सभी चार्ज अधिकारियो की पृथक-पृथक यूजर आईडी बनाई गई है।

# सहजन पाउडर से बच्चों को मिलेंगे विटामिन और एंटी ऑक्सीडेंट-सीईओ

नवभारत न्यूज

**श्योपुर, 12 मार्च।** निषादराज भवन में आयोजित आजीविका एवं पोषण कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद ने कहा कि श्योपुर जिले में नवाचार के तहत सहजन का पाउडर एनआरएलएम के

**आजीविका एवं पोषण कार्यशाला के दौरान हुआ अनुबंध, समूह उत्पादों को बढ़ावा देने अभिनव पहल**

माध्यम से तैयार किया गया है। इस पाउडर का उपयोग स्कूली विद्यार्थियों के भोजन में किया जायें, सहजन पाउडर के सेवन से बच्चों को विटामिन-सी, कैल्सीयम तथा अन्य विटामिन सहित एंटी ऑक्सीडेंट की पूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न छात्रावासों में संचालित मैस के माध्यम से बच्चों को

उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन में 100 ग्राम सहजन पाउडर मिलाकर देना होगा, इससे बच्चों की पौष्टिकता बढेगी और उनका ठीक तरह से शारीरिक एवं मानसिक विकास होगा।

एनआरएलएम के तत्वाधान में निषादराज भवन में आयोजित उक्त कार्यशाला के दौरान शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, डीपीसी विभागों के अधिकारी तथा छात्रावास अधीक्षक मौजूद रहें। इस अवसर पर एनआरएलएम के स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई।

सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद ने कहा कि वोकल फॉर लोकल पॉलिसी अंतर्गत स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाये जा रहे उत्पादों को बढावा देने के उद्देश्य से यह अभिनव पहल की गई है, जिसमें सेनेट्री उत्पादों तथा मसालों का उपयोग जिले में संचालित विभिन्न छात्रावासों तथा एमडीएम में संलग्न समूहों को किये जाने जाने

के संबंध में निर्देश दिये गये है। छात्रावासों में उपयोग होने वाले सर्फ साबुन, हैंडवाश, टायलेट क्लीनर, फिनाइल का क्रय एनआरएलएम अंतर्गत संचालित स्वसहायता समूहों से की जायें। इसी प्रकार समूहों द्वारा उत्पादित एवं निर्मित मसालों जैसे धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर तथा शहद और सहजन पाउडर (सेजने की फली से निर्मित पाउडर) का क्रय किया जाये, जिससे समूह की महिलाओं को न केवल बाजार की उपलब्धता होगी, बल्कि उनके उत्पादों का विक्रय बढेगा और उनके द्वारा की जा रही आजीविका मूलक गतिविधियों को गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि एनआरएलएम के स्वसहायता समूहों द्वारा विभिन्न उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है, वोकल फॉर लोकल के तहत इनसे सामग्री क्रय करने पर शुद्ध और गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ तो मिलेगे ही बल्कि समूहों को भी बाजार की उपलब्धता होगी, जिससे वे आर्थिक रूप से ओर अधिक सक्षम होंगे।

इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद की मौजूदगी में डीपीएम एनआरएलएम सोहनकृष्ण मुदगल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण एवं डीपीसी के साथ एमओयू साइन किये गये, जिसके क्रम में अब इन विभागों के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में उक्त सामग्री प्रदाय की जायेगी। डीपीएम एनआरएलएम सोहनकृष्ण मुदगल ने बताया कि उक्त उत्पादों की आसानी से उपलब्धता के लिए ब्लॉक स्तर पर विभागीय नोडल अधिकारी बनाये गये है, जिनके माध्यम से छात्रावासों के लिए सामग्री के आर्डर प्लेस किये जा सकते है। इसके पूर्व एनआरएलएम की ओर से समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों पर प्रजेटेंशन भी किया गया।